उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19—सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश—226001
दूरभाष / फैक्स : 0522—2235752, 0522—2235806

सूचना / विज्ञप्ति

यह विज्ञापन एवं अन्य सुसंगत सूचनायें बोर्ड की वेबसाइट **http://uppbpb.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी।

रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति

संख्याः पीआरपीबी—चार—4(18) / 2015 दिनांकः मार्च 22 ,2015

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर विभागीय लिखित परीक्षा—2011 एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा में अर्ह पाये गये अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु इस कार्य को करने वाली इच्छुक फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। कार्य का विवरण निम्नवत है :—

''उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली, 2008 (यथा संशोधित) के आधार पर सेवा अभिलेखों के मूल्यांकन हेतु सिस्टम / डैस बोर्ड का निर्माण कराना तथा प्रत्येक अभ्यर्थी की सेवा की कालावधि के लिये, स्नातक एवं ऊपर की उपाधि की शैक्षिक अर्हता के लिये, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिये, वार्षिक प्रविष्टि के लिये, राष्ट्रीय स्तर / राज्य स्तरीय के प्रत्येक पदक के लिये तथा प्रत्येक वृहद दण्ड के लिये, प्रत्येक लघु दण्ड के लिये, प्रत्येक प्रतिकूल प्रविष्टि और सूक्ष्म दण्ड के आधार पर धनात्मक / ऋणात्मक मूल्यांकन कर बोर्ड के सर्वर पर लोड कराना तथा उसकी प्रति एक्सटर्नल हार्डड्राइव में बोर्ड को उपलब्ध कराना।''

2— कृपया उक्त कार्य हेतु इच्छुक फर्मे अपने पूर्व के अनुभव का उल्लेख करते हुये कोटेशन ''अपर सचिव, प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ'' के नाम / पदनाम से दिनांक 28—03—2015 को सायं 04.00 बजे तक बोर्ड कार्यालय में उपलब्ध करा सकते हैं।

नोटः कृपया उपरोक्त कार्य हेतु फर्मे किये जाने वाले कार्य की दर तथा टैक्स की दरें अलग—अलग प्रदर्शित करें।

3— उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड उपरोक्त कार्य किसी एक फर्म से या अलग—अलग फर्मो से उनके द्वारा प्रदत्त कोटेशनों के आधार पर अथवा अपने संसाधनों से भी करा सकता है।

4— कोटेशनकर्ता फर्मे कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख अवश्य उपलब्ध करायें :—

(क) फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य सम्पन्न किये जाने के पूर्व अनुभव का विवरण।

(ख) फर्म द्वारा उपरोक्त कार्य किस प्रकार सम्पादित किया जायेगा एवं कार्य के दौरान उपयोग में लाये जाने वाले प्रोफार्मा का विवरण।

(ग) बोर्ड द्वारा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता पर विशेष जोर दिया जाता है। अतः जो फर्म ऐसी विधि / प्रकिया प्रस्तावित करेगी, जिससे ज्यादा पारदर्शिता तथा निष्पक्षता बनाई जा सके। ऐसे वेण्डरों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।

(घ) फर्म द्वारा कार्य पूर्ण कर बोर्ड के सर्वर पर अपलोड करने के पश्चात प्रोग्राम मय सोर्सकोड बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ड.) सभी फर्मो को अपने कोटेशन के साथ रू0 10,000 / — का कास चेक अपर सचिव, प्रोन्नति, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नाम से सिक्युरिटी मनी के तौर पर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कोटेशनों के आधार पर जिस फर्म को कार्य प्रदान किया जायेगा उसके अतिरिक्त अन्य फर्मो की सिक्योरिटी मनी बोर्ड द्वारा वापस कर दी जायेगी एवं कार्य करने वाली फर्म को कार्य के सम्पादन के उपरान्त सिक्युरिटी मनी वापस कर दी जायेगी।

(च) बोर्ड द्वारा जिस भी फर्म को कार्यादेश निर्गत किया जायेगा, उसके द्वारा कार्य के सम्पादन में पूर्ण गोपनीयता बनाकर रखी जायेगी। फर्म द्वारा गोपनीयता बनाने या कार्य के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध विधिक कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अपर सचिव, प्रोन्नति
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।